कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी

दूरभाष एंव फैक्स नं0:-01374.223804 Email Id :- eepmgsyuttarkashi@rediffmail.com

पत्रांकः /पी.एम.जी.एस.वाई./सिं.ख.,/ दिनांक 30/04.2019

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वनप्रभाग,
कोटबंगला, उत्तरकाशी।

विषय— **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ज्ञानसू–साल्ड–उपरीकोट मोटर मार्ग के किमी0 14 से निसमोर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.238 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ— भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0सी0पी0/06/35/2016/एफ.सी./1712 दिनांक 19.11.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी कार्यालय पत्रांक 1428/FP/UK/ROAD/15408/2015 दिनांक 30.11.2018 एवं आपका कार्यालय पत्रांक 1842/12–1, कोटबंगला दिनांक 10.01.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.238 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। उक्त के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा अध्यापित शर्तो की बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है–

क्रसं.	शर्तो/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 238 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आपके पत्रांक संख्या 1842/ 12–1, कोटबंगला दिनांक 10.01.2019 के द्वारा निर्धारित आवश्यक कुल रू0 261800.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (प्रतिलिपि संलग्न)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 05–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0पी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आपके पत्रांक संख्या 1842/ 12–1, कोटबंगला दिनांक 10.01.2019 के द्वारा निर्धारित आवश्यक कुल रू0 156366.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (प्रतिलिपि संलग्न)।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में यदि बढोत्तरी होती है, तो बढी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाये।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी यह प्रमाणित करती है, कि यदि एन0पी0वी0 की दर में वृद्धि होती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अतिरिक्त धनराशि जमा कर दी जायेगी।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि जमा की गयी सभी निधियां (सी0ए0 कोस्ट, एन0पी0वि0 इत्यादि) को वेब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैक में जमा किया जाये, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन के अनुरूप में मान्य नही होगी।	सभी निधियां (सी0ए0 कोस्ट, एन0पी0वि0 इत्यादि) को वेब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन बैंक में जमा किया गया है।

Pk

5	सडक निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा Central Verge पर अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी यह प्रमाणित करती है, सडक निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा।
6	राज्य सरकार क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना की मूल प्रति को पैरा 13 (ii) ऑनलाईन पार्ट–2 में अपलोड करेगी।	चूकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना आपके कार्यालय द्वारा किया जाना है एवं ऑनलाईन पार्ट–2 आपके कार्यालय द्वारा अपलोड किया जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त बिन्दु की अनुपालना करने की कृपा करें।

अतः अनुरोध है, कि विषयगत प्रकरण पत्र वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति/वनभूमि प्रत्यावर्तन के औपचारिक शासनादेश निर्गत करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–Online Payment History की प्रतिलिपि।

अधिशासी अभियन्ता,
पी.एम.जी.एस.वाई.,सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी

पत्राक 716 /पी.एम.जी.एस.वाई./सिं0ख0/ तदिनांक।- 30/04/2019

प्रतिलिपि–

1–मुख्य अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 (ग0क्षे0) देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2–अधीक्षण अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, वृत्त लो0नि0वि0 मसूरी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
पी.एम.जी.एस.वाई.,सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी

Pk